

भारत सरकार  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
लोक सभा  
तारांकित प्रश्न सं. \*68  
जिसका उत्तर 04.12.2025 को दिया जाना है  
इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वृद्धि, सुरक्षा और विनियमन

\*68. श्री पी. सी. मोहन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों के शुरू होने के बाद से देश में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक कारों के पंजीकरण और बिक्री में वर्ष-वार कितनी वृद्धि हुई है और तत्संबंधी अद्यतन आंकड़े क्या हैं;

(ख) विशेषकर बंगलौर सहित कर्नाटक में कुल कितने इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं और देश के समग्र इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े में उनकी हिस्सेदारी कितना है;

(ग) क्या सरकार को हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित दुर्घटनाओं, आग लगने की घटनाओं तथा बैटरी और यात्री सुरक्षा के संबंध में व्यक्त की गई चिंताओं की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इलेक्ट्रिक वाहनों के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में मौजूद सुरक्षा मानकों, परीक्षण प्रोटोकॉल और निगरानी तंत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विनिर्माताओं और राज्य सरकारों के सहयोग से चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ाने, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने को बढ़ावा देने और सुरक्षा संबंधी अनुपालन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

“इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वृद्धि, सुरक्षा और विनियमन” के संबंध में श्री पी. सी. मोहन द्वारा पूछे गए दिनांक 04.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. \*68 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) वाहन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिक दोपहिया पंजीकृत वाहनों का विवरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

वाहन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार हल्के मोटर वाहन, हल्के यात्री वाहन, चार पहिया (अमान्य कैरिज) श्रेणी के तहत पंजीकृत इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों का विवरण **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

(ख) पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

कैलेंडर वर्ष	पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या (कर्नाटक)	पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या (बेंगलूरु जिला)
<b>2020</b>	<b>9,686</b>	<b>7,354</b>
<b>2021</b>	<b>33,289</b>	<b>19,631</b>
<b>2022</b>	<b>95,741</b>	<b>58,450</b>
<b>2023</b>	<b>1,52,313</b>	<b>91,128</b>
<b>2024</b>	<b>1,77,646</b>	<b>1,00,150</b>
<b>2025- 27 नवंबर, 2025 तक</b>	<b>1,69,704</b>	<b>91,693</b>

(ग) से (ड.) सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एल, एम और एन श्रेणी के इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों की ट्रैक्शन बैटरी के लिए तकनीकी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए ऑटोमोटिव उद्योग मानकों, एआईएस: 156 [एल श्रेणी इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं (चार पहियों से कम का मोटर वाहन और क्वाड्रिसाइकिल)] और एआईएस: 038 (संशो. 2) [एम श्रेणी के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं, (यात्री को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाला एक मोटर वाहन) एन श्रेणी इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन (माल ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाला एक मोटर वाहन)] में संशोधन किया है। इन मानकों को मार्च, 2023 से लागू किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोटोटाइप/कंपोनेंट का परीक्षण निम्नलिखित के लिए किया जाता है:

- क) ओवर चार्ज/डिस्चार्ज सुरक्षा
- ख) ओवर करंट / शॉर्ट सर्किट सुरक्षा
- ग) अधिक तापमान सुरक्षा
- घ) वोल्टेज कटऑफ
- ड.) बैटरी प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस)
- च) थर्मल प्रसार आदि की रोकथाम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों के अनुपालन के लिए केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत अधिसूचित परीक्षण एजेंसियों द्वारा परीक्षण किए जाते हैं।

सरकार के विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 17 सितंबर 2024 को "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) की स्थापना और उनके संचालन के लिए दिशानिर्देश-2024" जारी किए हैं, जिसमें बैटरी स्वैपिंग/चार्जिंग स्टेशनों सहित कनेक्टेड और इंटरऑपरेबल ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क तैयार करने के लिए मानकों और प्रोटोकॉल की रूपरेखा दी गई है।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) का.आ. 5333(अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के माध्यम से जारी अधिसूचना में बैटरी चालित परिवहन वाहनों को परमिट की आवश्यकताओं से छूट दी गई है।
- (ii) सा.का.नि. 525(अ), दिनांक 2 अगस्त, 2021 के माध्यम से जारी अधिसूचना में बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने या उनके नवीनीकरण और नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट के उद्देश्य से शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
- (iii) बिना किसी परमिट शुल्क के भुगतान के बैटरी चालित वाहनों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट जारी करने के लिए सा.का.नि. 302(अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2023 के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई है।
- (iv) सा.का.नि.167(अ), दिनांक 1 मार्च, 2019 के माध्यम से वाहनों के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक किट की रेट्रो-फिटमेंट के लिए अधिसूचना जारी की गई है और उनके अनुपालन मानक ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस) 123 के अनुसार होंगे।

(v) सा.का.नि. 749 (अ), 7 अगस्त, 2018 के माध्यम से जारी की गई अधिसूचना में बैटरी चालित वाहनों के लिए पंजीकरण चिह्न को परिवहन वाहनों हेतु हरी पृष्ठभूमि पर पीले रंग में और अन्य सभी मामलों के लिए, हरी पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में अधिसूचित किया है।

(vi) बगैर बैटरी के दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 12 अगस्त, 2020 को एक परामर्शी जारी की गई है।

(vii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क प्रयोक्ताओं और ट्रक चालकों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के साथ लगभग 40-60 किलोमीटर के अंतराल पर सार्वजनिक सुविधाएं जैसे भोजनालय, शौचालय, पेयजल, पार्किंग, ईंधन भरने के स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन, अल्पकालिक आवास आदि उपलब्ध कराने हेतु एनएचएलएमएल के माध्यम से मार्गस्थ सुविधाओं के विकास की कल्पना करता है।

1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाले मार्गस्थ सुविधा स्थलों के लिए अनिवार्य सुविधा के रूप में ईवी चार्जिंग स्टेशनों का प्रावधान किया गया है।

अब तक, 513 मार्गस्थ सुविधा स्थलों का कार्य सौंप दिया गया है, जिनमें से 110 स्थल पहले से ही संचालित हैं और 64 संचालित सुविधाओं पर ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किए गए हैं।

सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने अखिल भारतीय आधार पर पर्याप्त संख्या में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने 8932 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस) स्थापित करने के लिए फेम-II अनुदान योजना के तहत पीएसयू तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 873.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। दिनांक 01.11.2025 तक, देश भर में फेम-II अनुदान योजना के तहत ओएमसी द्वारा अपने खुदरा दुकानों (आरओ) में 8932 ईवीसीएस स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 3261 ईवीसीएस सक्रिय है। इसके अलावा, ओएमसी ने अपनी स्वयं की निधि से अपने आरओ में 18,544 ईवीसीएस स्थापित किए हैं।

अनुलग्नक-1

“इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वृद्धि, सुरक्षा और विनियमन” के संबंध में श्री पी. सी. मोहन द्वारा पूछे गए दिनांक 04.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. \*68 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पंजीकृत इलेक्ट्रिक 2-पहिया वाहनों का विवरण-

राज्य	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (27/11/2025 तक)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	16	12	46	85
आंध्र प्रदेश	930	7,899	27,585	28,547	48,760	45,131
अरुणाचल प्रदेश	1	2	1	3	15	42
असम	40	374	1,901	2,438	4,388	3,251
बिहार	384	2,789	9,930	12,384	22,027	21,861
चंडीगढ़	12	197	855	2,141	1,774	1,293
छत्तीसगढ़	591	2,613	16,345	25,192	32,846	21,252
दिल्ली	1,163	7,555	34,563	37,564	31,530	33,318
गोवा	55	849	4,991	8,396	9,497	6,758
गुजरात	530	7,884	64,584	78,512	65,086	54,379
हरियाणा	274	3,792	11,711	7,445	18,807	12,795
हिमाचल प्रदेश	22	304	945	890	1,287	951
जम्मू और कश्मीर	74	1,130	2,132	1,834	3,001	2,230
झारखंड	293	1,672	6,730	7,378	10,273	9,731
कर्नाटक	8,684	29,620	86,852	1,34,593	1,54,154	1,41,283
केरल	351	5,882	33,456	61,799	66,852	70,107
लद्दाख	0	6	20	18	18	0
लक्षद्वीप	0	0	0	3	2	13
मध्य प्रदेश	929	5,104	22,179	35,963	63,011	66,275
महाराष्ट्र	5,065	23,662	1,17,526	1,67,965	2,10,112	1,95,969
मणिपुर	7	20	125	89	76	291

मेघालय	3	0	22	74	209	219
मिजोरम	1	1	36	167	558	735
नागालैंड	11	2	3	3	7	14
ओडिशा	610	4,944	25,723	38,350	56,303	59,893
पुदुचेरी	86	393	1,410	2,451	4,047	3,527
पंजाब	128	3,237	7,571	8,621	19,425	21,229
राजस्थान	1,968	13,956	54,117	59,419	76,735	70,384
सिक्किम	0	0	0	0	1	3
तमिलनाडु	5,413	23,935	61,619	78,423	1,14,766	1,23,134
त्रिपुरा	7	3	196	256	415	484
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	10	20	88	100	261	150
उत्तर प्रदेश	1,194	6,284	23,547	40,379	94,661	92,174
उत्तराखंड	178	1,210	5,698	5,687	8,247	7,890
पश्चिम बंगाल	97	915	8,412	11,414	22,910	24,262
<b>कुल योग</b>	<b>29,112</b>	<b>1,56,254</b>	<b>6,30,889</b>	<b>8,58,510</b>	<b>11,42,107</b>	<b>10,91,113</b>

अनुलग्नक-II

“इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वृद्धि, सुरक्षा और विनियमन” के संबंध में श्री पी. सी. मोहन द्वारा पूछे गए दिनांक 04.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. \*68 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

श्रेणी हल्के मोटर वाहनों, हल्के यात्री वाहनों, चार पहिया (अमान्य वाहन) के तहत पंजीकृत इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों का विवरण -

राज्य	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (27 नवंबर, 2025 तक)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	35	22	7	14	16	70
आंध्र प्रदेश	61	395	785	1,655	4,078	4,457
अरुणाचल प्रदेश	3	0	1	17	29	40
असम	7	7	82	267	401	416
बिहार	22	61	135	601	938	928
चंडीगढ़	35	106	273	1,037	1,403	1,395
छत्तीसगढ़	9	70	366	1,539	1,897	2,156
दिल्ली	883	1,948	5,649	8,333	6,517	13,099
गोवा	25	189	621	966	1,239	1,388
गुजरात	230	862	2,831	6,597	6,274	10,273
हरियाणा	96	65	834	2,681	3,921	4,248
हिमाचल प्रदेश	3	11	45	161	281	591
जम्मू और कश्मीर	0	5	49	165	276	419
झारखंड	37	47	156	468	593	700
कर्नाटक	695	1,471	4,311	11,969	14,079	18,024
केरल	427	1,667	3,845	9,817	11,055	16,962
लद्दाख	0	0	10	0	0	3
लक्षद्वीप	6	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	29	194	536	1,736	2,589	4,108
महाराष्ट्र	927	3,743	11,652	13,733	15,046	27,876
मणिपुर	0	0	1	30	77	98
मेघालय	0	3	10	20	39	108

मिजोरम	0	0	0	0	2	7
नागालैंड	0	0	0	3	3	7
ओडिशा	20	59	436	1,331	2,509	3,959
पुदुचेरी	1	10	44	91	141	141
पंजाब	11	41	46	799	1,469	2,670
राजस्थान	118	566	1,493	4,530	6,149	9,930
सिक्किम	0	0	0	0	6	4
तमिलनाडु	283	946	2,463	5,984	7,788	13,211
त्रिपुरा	0	5	0	30	39	34
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	3	3	16	42	63	76
उत्तर प्रदेश	135	80	216	4,878	6,881	12,068
उत्तराखंड	14	122	384	494	594	993
पश्चिम बंगाल	101	334	951	2,594	3,397	5,517
<b>कुल योग</b>	<b>4,216</b>	<b>13,032</b>	<b>38,248</b>	<b>82,582</b>	<b>99,789</b>	<b>1,55,976</b>

\*\*\*\*\*